

म.प्र. के जीआई उत्पादों का सच : अवसरों की फसल, लाभ की प्रतीक्षा



डॉ. आशुतोष उपाध्याय

बना चुके हैं.

जब भी किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है, यह दावा किया जाता है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में मध्य प्रदेश के किसानों की आय बढ़ी है? यदि बढ़ी है तो कितनी? तथ्यों और उपलब्ध रिपोर्टों का अध्ययन बताता है कि जीआई टैग ने अवसर तो बहुत बड़े पैदा किए हैं, लेकिन उनकी पूरी आर्थिक क्षमता का लाभ अभी किसानों तक नहीं पहुंच पाया है।

क्या होता है जीआई टैग?— जीआई किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान प्रदान करता है। यह प्रमाणित करता है कि किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित वस्तु अपनी विशिष्ट गुणवत्ता, स्वाद, सुगंध या विशेषताओं के कारण अन्य क्षेत्रों की समान वस्तुओं से अलग है।

दुनिया में फ्रांस की शैम्पेन, इटली का पार्मा हैम और भारत की दार्जिलिंग चाय तथा बासमती चावल इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं।

जीआई टैग का मूल उद्देश्य है—

- नकली उत्पादों से सुरक्षा
- उत्पाद की ब्रांड वैल्यू बढ़ाना
- किसानों और उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाना
- निर्यात के अवसर बढ़ाना
- क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करना

मध्य प्रदेश की जीआई उपलब्धियाँ— वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास लगभग 20 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं. इनमें प्रमुख कृषि एवं खाद्य उत्पाद हैं—

मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि एवं खाद्य उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग दिलाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. शरबती गेहूँ, कड़कनाथ मुर्गा, चित्रौर चावल, सुन्दरजा आम, रतलामी सेव और मुरैना गजक जैसे उत्पाद आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान



- शरबती गेहूँ (सीहोर)
- कड़कनाथ मुर्गा (झाबुआ)
- चित्रौर चावल (बालाघाट)
- सुन्दरजा आम (रीवा)
- रतलामी सेव
- मुरैना गजक

इन उत्पादों को राज्य की कृषि विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था की पहचान माना जाता है।

शरबती गेहूँ: सबसे सफल उदाहरण— यदि किसी जीआई उत्पाद ने वास्तविक आर्थिक संभावना दिखाई है तो वह शरबती गेहूँ है। सीहोर और आसपास के क्षेत्रों में उत्पादित शरबती गेहूँ अपनी मिठास, सुनहरे रंग और अधिक जल अवशोषण क्षमता के लिए जाना जाता है. जीआई टैग मिलने से पहले भी इसकी कीमत सामान्य गेहूँ से अधिक मिलती थी. जहाँ सामान्य गेहूँ का बाजार मूल्य लगभग 2300 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहता है, वहीं शरबती गेहूँ कई बार 3000 रुपये प्रति क्विंटल या

उससे अधिक मूल्य प्राप्त करता है. लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश किसान अभी भी अपना उत्पादन सामान्य मंडियों में बेच देते हैं, जहाँ उनकी उपज साधारण गेहूँ के साथ मिल जाती है. परिणामस्वरूप केवल सीमित किसान ही जीआई टैग से मिलने वाले प्रीमियम मूल्य का लाभ उठा पा रहे हैं।

कड़कनाथ: आदिवासी किसानों की पहचान— झाबुआ का कड़कनाथ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी विशिष्ट काले रंग की त्वचा और मांस के लिए प्रसिद्ध है. जीआई टैग ने कड़कनाथ को एक कानूनी पहचान प्रदान की. इससे अन्य राज्यों द्वारा कड़कनाथ नाम के उपयोग पर नियंत्रण संभव हुआ और झाबुआ क्षेत्र के उत्पादकों के अधिकार सुरक्षित हुए. आज कड़कनाथ की मांग महानगरों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्वास्थ्य-जागरूक उपभोक्ताओं में लगातार बढ़ रही है. इसके बावजूद उत्पादन अभी सीमित है. यदि वैज्ञानिक पालन और संगठित विपणन को बढ़ावा मिले तो यह आदिवासी

राम मंदिर का चढ़ावा चोरी आस्था पर आघात है



प्रो. विवेकानंद तिवारी में अध्यक्ष, आमडूकरपीठ एचपीयू, भिमला

मामले ने लोगों की आस्था पर गहरी छोट करने के साथ ही उनके भरोसे को डिगाने का काम किया है. किसी के लिए भी यह सोचना कठिन है कि चढ़ावे में चोरी वही लोग कर रहे थे, जिन पर उसकी पाई-पाई का हिसाब रखने की जिम्मेदारी थी

अयोध्या का राम मंदिर केवल पथरों, स्तंभों और शिल्प का विराट स्थापत्य नहीं है; वह करोड़ों हिंदुओं की आस्था, भावनाओं और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत केंद्र है. इस मंदिर से जुड़ी हर ईंट, हर दानराशि और हर व्यवस्था केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है, जिसे देश-विदेश के समभवक्तों ने अपनी बद्ध से सींचा है. ऐसे में यदि मंदिर के चंदे, दानराशि या उससे जुड़े आर्थिक प्रबंधन पर अनियमितता, गबन, चोरी या दुरुपयोग जैसे आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल वित्तीय गड़बड़ी का मामला नहीं रह जाता; यह सीधे-सीधे आस्था पर प्रहार का प्रश्न बन जाता है. अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा/धन अनियमितता विवाद ने इसी कारण सामान्य प्रशासनिक प्रक्रान की सीमा पार कर व्यापक सामाजिक, धार्मिक और नैतिक चिंता का रूप ले लिया है.

इस पूरे विवाद में जो बात सबसे अधिक

महत्वपूर्ण है, वह यह कि अब इसे अफवाह, राजनीतिक बयानबाजी या संगठनात्मक बचाव की परतों में दबाने के बजाय स्पष्ट, त्वरित और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के हवाले किया जाना चाहिए. यदि विशेष जांच दल की प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ नाम सामने आए हैं और प्रथम दृष्टया अनियमितता की पुष्टि के संकेत मिले हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना होना चाहिए. कानून का पहला दायित्व यही है कि वह किसी भी आरोप को या तो प्रमाणित करे या झूठा सिद्ध करे; किंतु यह कार्य तभी संभव है जब जांच में गति, गंभीरता और स्वतंत्रता हो. वहाँ तक फाइनाल पलटते रहने, जांच को टंडे बरसे में डालने या समय के साथ जानक्रोश के शांत हो जाने की प्रतीक्षा करना इस मामले में सबसे बड़ी भूल होगी. जिस धन को करोड़ों श्रद्धालुओं ने ‘रामजी का धन’ मानकर समर्पित किया हो, उसके संबंध में न्यायिक प्रक्रिया जितनी तेज और पारदर्शी होगी, उतना ही समाज का विश्वास बचा रहेगा.

यही कारण है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हो और कुछ महीनों के भीतर दोषियों की जवाबदेही तय हो—यह मांग न केवल उचित है, बल्कि आवश्यक भी है. इस विवाद का दूसरा और अधिक संवेदनशील पक्ष यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के पद, प्रतिष्ठा, संगठनात्मक महत्व या राजनीतिक उपयोगिता के आधार पर रियायत नहीं दी जा सकती. राम मंदिर जैसा संस्थापित किसी व्यक्ति विशेष की निजी जागीर नहीं है; वह समस्त हिंदू समाज की सामूहिक आस्था का केंद्र है. इसलिए यदि कोई छोटो कर्मचारी चोरी पाया जाता है तो उसे दंड मिले, और यदि किसी बड़े पदाधिकारी, प्रभावशाली प्रबंधक या प्रतिष्ठित नाम पर भी आरोप है, तो उनकी भी उतनी ही कठोरता से जांच हो.



डॉ. ब्रह्मदीप अलूने (अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)

यह चार महाद्वीपों में फैले सत्तावन सदस्य देशों का एक प्रमुख अंतर-सरकारी संगठन है, जिनमें अधिकांश मुस्लिम-बहुल राष्ट्र हैं. ओआईसी स्वयं को मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज के रूप में प्रस्तुत करता है और सदस्य देशों के हितों की रक्षा, इस्लामी एकजुटता को सुदृढ़ करने तथा अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है. संगठन का स्थायी मुख्यालय जेद्दा (सऊदी अरब) में स्थित है. संयुक्त राष्ट्र के बाद सदस्य देशों की संख्या के आधार पर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन माना जाता है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा एशिया की राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को कभी-कभी इस्लामिक बम की अवधारणा से जोड़कर मुस्लिम देशों के बीच अपनी रणनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास किया. उसका उद्देश्य स्वयं को इस्लामी जगत की एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करना था. हालांकि, इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) में पाकिस्तान को हमेशा अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप समर्थन नहीं मिला. अनेक अवसरों पर ओआईसी के प्रभावशाली सदस्य देशों, विशेषकर खाड़ी देशों ने भारत के साथ

पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीति कई अवसरों पर इस्लामी एकजुटता के बजाय बदलते सामरिक हितों से संवालित रही है. शीत युद्ध के दौरान उसने अमेरिका के साथ वफावृत्त सैन्य सहयोग किया, जबकि बाद में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में भी वह अमेरिका का प्रमुख सहयोगी बना. वही तुर्किये, सऊदी अरब, ईरान और अन्य मुस्लिम देशों के बीच संतुलन बनाने की उसकी नीति भी समग्र-समय पर बदलती रही है. यही कारण है कि पाकिस्तान ने कई बार व्यापक इस्लामी हितों से अधिक अपने राष्ट्रीय और सामरिक हितों को प्राथमिकता दी, जिससे उसकी नीतियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे. यदि मुस्लिम दुनिया की राजनीति की बात करें तो ईरान को बाहर रखकर कोई भी मंच समूणी इस्लामी प्रतिनिधित्व का दावा नहीं कर सकता. संयुक्त अरब अमीरात,कतर और इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण मुस्लिम देश भी इसमें नहीं हैं. बहरहाल आर-4 के अन्य सदस्य यानि सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किये,किसी भी दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था में पाकिस्तान की भूमिका का आंकलन अपने-अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर ही करेंगे,ऐसी उम्मीद तो की ही जा सकती है.

अपने बढ़ते आर्थिक, ऊर्जा और सामरिक संबंधों को प्राथमिकता दी. परिणामस्वरूप, भारत से जुड़े कई मुद्दों पर पाकिस्तान को वह सामूहिक समर्थन नहीं मिल सका जिसकी उसे अपेक्षा थी. यही कारण है कि समय-समय पर पाकिस्तान ने ओआईसी की भूमिका और उसके रवैये पर सार्वजनिक रूप से असंतोष भी व्यक्त किया.

अब पाकिस्तान ने आर-4 नामक संगठन की स्थापना कर ओआईसी को ही खत्म करने की साजिश रच दी है. दरअसल हाल ही में मिस्र के काहिरा में आर-4 यानि पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किये ने एक बैठक कर क्षेत्रीय सुरक्षा, ईरान-अमेरिका समझौते, गाजा, लेबनान तथा फिलिस्तीन के मुद्दों पर संयुक्त विचार-विमर्श किया और सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. आर-4 की अब तक चार विदेश मंत्री स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं. इसके पहले 19 मार्च 2026 को सऊदी अरब के रियाद, 29 मार्च 2026 को इस्लामाबाद ,पाकिस्तान तथा 18 अप्रैल 2026 को तुर्किये के अंताल्या में बैठकें हो चुकी है. आर-4 अभी कोई औपचारिक हितों-आधारित संगठन नहीं है, बल्कि चार देशों पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किये का एक परामर्श मंच है. इसके गठन



करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष तथा सांसद संजय सिंह की अयोध्या के कोतवाली थाने में दी गई लिखित तहरीर के प्रत्युत्तर में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई.

चिंता का विषय कुछ जिम्मेदार एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बयान है, जो ट्रस्ट की वर्तमान कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हैं. बानगी देखिए; रजनीश सिंह पूर्व भाजपा विधायक पीएमओ से (केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग), महंत कमल दास, दिगंबर अखाड़ा प्रमुख उच्च स्तरीय न्यायिक जांच), महंत जनमेजय, रसिक पीठाधीश्वर (करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था पर प्रहार), स्वामी दिलीप दास त्यागी, अध्यक्ष खुबुंश संकलप सेवा

अन्य राज्यों से सीख

कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अब केवल जीआई टैग प्राप्त करने पर नहीं, बल्कि उसके व्यवसायीकरण पर ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने यह समझ लिया है कि— जीआई टैग स्वयं पैसा नहीं कमाता, बल्कि उसके आधार पर बनाया गया ब्रांड पैसा कमाता है. यही वह क्षेत्र है जहाँ मध्य प्रदेश को अभी लंबी दूरी तय करनी है। जीआई टैग ने मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान अवश्य दिलाई है. शरबती गेहूँ, कड़कनाथ और चित्रौर जैसे उत्पादों को नकली प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिली है और किसानों के लिए नए बाजार खुले हैं. लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जीआई टैग ने किसानों की आय में व्यापक क्रांतिकारी वृद्धि कर दी है. संशय यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश ने जीआई टैग प्राप्त करने में सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें मजबूत ब्रांड में बदलने की प्रक्रिया अधूरी है. अगले दशक में राज्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह जीआई प्रमाणपत्रों को आर्थिक शक्ति में बदल पाता है या नहीं. क्योंकि अंततः किसान के लिए जीआई टैग का मूल्य उसके प्रमाणपत्र में नहीं, बल्कि उसकी फसल की बढ़ी हुई कीमत में दिखाई देता है.

क्षेत्रों की आय में क्रांतिकारी वृद्धि ला सकता है.

चित्रौर चावल: संभावनाएँ अधिक, लाभ कम – बालाघाट का चित्रौर चावल अपनी सुगंध के कारण मध्य प्रदेश का बासमती कहलाता है. जीआई टैग मिलने के बाद उम्मीद थी कि यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचेगा, लेकिन अभी तक इसके लिए आवश्यक ब्रांडिंग, पैकेजिंग और निर्यात नेटवर्क विकसित नहीं हो सके हैं. फलस्वरूप किसानों को सीमित लाभ ही प्राप्त हुआ है.

वास्तविक प्रश्न: किसानों की आय कितनी बढ़ी? – यह आश्चर्यजनक है कि आज तक न तो केंद्र

सरकार और न ही राज्य सरकार ने कोई व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया हो कि जीआई टैग मिलने के बाद किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई. हालांकि उपलब्ध अध्ययनों और बाजार आंकड़ों से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं।

पहला निष्कर्ष – प्रीमियम उत्पाद अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं. शरबती गेहूँ, कड़कनाथ और चित्रौर जैसे उत्पाद सामान्य उत्पादों की तुलना में अधिक कीमत प्राप्त करते हैं.

दूसरा निष्कर्ष: अधिकांश किसान जीआई ब्रांडिंग का लाभ नहीं उठा पा रहे बहुत कम किसान अधिकृत जीआई उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं. अधिकांश उत्पाद बिना किसी ब्रांड पहचान के सामान्य बाजार में बिक जाते हैं.

तीसरा निष्कर्ष – विपणन सबसे बड़ी चुनौती है

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारत के अधिकांश जीआई उत्पाद इसलिए अपेक्षित सफलता नहीं पा सके क्योंकि उनके लिए मजबूत ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रमाणीकरण और विपणन व्यवस्था विकसित नहीं की गई.

कितनी है आर्थिक संभावना? यदि मध्य प्रदेश अपने प्रमुख जीआई उत्पादों का प्रभावी व्यावसायीकरण कर सके तो अनुमानतः—

उत्पाद	संभावित अतिरिक्त वार्षिक मूल्य
शरबती गेहूँ	300 करोड़
कड़कनाथ	15 करोड़
चित्रौर चावल	50 करोड़
सुन्दरजा आम	50 करोड़
रतलामी सेव	50–100 करोड़
मुरैना गजक	50–100 करोड़

कुल मिलाकर राज्य में प्रतिवर्ष 500 से 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न हो सकती है. यदि निर्यात, ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण और किसान उत्पादक संगठनों को जोड़ा जाए तो यह मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुँच सकता है.

धर्मांतरण और आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार का समय



राकेश शर्मा

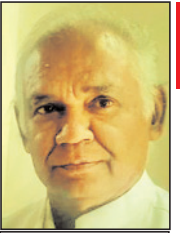
उन समुदायों को अवसर प्रदान करना था जो सदियों में सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और वंचना का शिकार रहे। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए. लेकिन आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है . क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण और विशेष संवैधानिक लाभ उसी प्रकार मिलते रहने चाहिए?

इसी प्रश्न से जुड़ा है ‘डी-लिट्रिंग’ का मुद्दा.डी-लिट्रिंग का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति उस धार्मिक और सामाजिक पहचान को छोड़ देता है जिसके आधार पर उसे विशेष संवैधानिक लाभ मिले थे, तो उसे संबंधित सूची से हटाया जाए. समर्थकों का तर्क है कि यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के पक्ष में उठाया गया प्रश्न है. आखिर डी-लिट्रिंग की मांग क्यों?देश के अनेक सामाजिक संगठनों और जनजातीय मंचों का मानना ​​है कि

आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जो आज भी उस सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं जिसके कारण आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी. उनका तर्क है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद भी पुराने वर्ग के सभी लाभ प्राप्त करता रहे, तो सीमित संसाधनों और अवसरों पर दबाव बढ़ता है. परिणामस्वरूप वास्तविक जरूरतमंद परिवार पीछे छूट जाते हैं.विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में यह बहस अधिक तेज हुई है. कई संगठनों का दावा है कि धर्मांतरण के बाद भी यदि आरक्षण और अन्य लाभ यथावत बने रहें, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकता है.धर्मांतरण और सामाजिक वास्तविकता

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता देता है. यह अधिकार लोकतंत्र की मूल आत्मा है. लेकिन डी-लिट्रिंग समर्थक यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि धर्म परिवर्तन के साथ धार्मिक पहचान बदल जाती है, तो क्या सामाजिक पहचान और उससे जुड़े संवैधानिक लाभों की भी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? उनका कहना ​​है कि आस्था व्यक्तिगत विषय है, लेकिन आरक्षण एक सार्वजनिक नीति है जिसका उद्देश्य सीमित संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना है.

विश्वास–अंधविश्वास के बीच ‘ विश्वासघात ’ कहां



राजीव खण्डेलवाल (लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतुल सुधार न्यास)

सरकार द्वारा तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित कर जांच कराई जाकर विभिन्न स्तरों पर पूछताछ और अभिलेखों की समीक्षा की जा रही है. बाढ़ ही जब खेत और जाय तब एसआईटी ने 23 जून को अपनी सेवा सौ पन्नों की प्रारंभिक/अंतरिम रिपोर्ट राज्य के अतिरिक्त सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है. संयोगवश वे उस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, जिस ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं.

एसआईटी कितनी प्रभावी है यह इस बात से समझ लीजिए की अभी तक उसने आमजनों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हेल्ललाईन, ईमेल, पोर्टल, टोल फ्री नंबर आदि की सार्वजनिक जानकारी नहीं दी है. जबकि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, जिनके पास प्रमाण हो, वे

एसआईटी को दें. एसआईटी की कार्यक्षमता पर इस आधार पर भी प्रश्न चिह्न लगाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ आईएएस अधिकारी ही हैं, कोई आईपीएस अथवा पुलिस अधिकारी नहीं. इस तरह की यह पहली एसआईटी है.

एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि प्रथम दृष्टया जब आर्थिक अपराध के आरोप स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, जो कई बयानों व साक्ष्यों से समर्थित हैं, तब क्या बिना प्राथमिकी दर्ज किए एसआईटी की जांचदू कानूनी दृष्टि, पारदर्शिता व नैतिकता के पैमाने से कितनी उचित व सही उद्गराई जा सकती है आईये आगे इस पर विचार करते हैं.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) (पुराना कानून दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154) के अंतर्गत सामान्य सिद्धांत यह है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस के समक्ष आती है तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए. प्राथमिकी का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि विवेकत आपराधिक जांच की शुरुआत करना होता है. उच्चतम न्यायालय ने ललिता कुमारी वि. उत्तर प्रदेश सरकार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक निर्णय में पुरानी धारा 154 का विश्लेषण करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि संज्ञेय अपराध होने पर कुछ अपवादों को छोड़कर तुरंत एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है. वे अपवाद वर्तमान प्रकरण में मौजूद नहीं हैं. सामाजिक कार्यकर्ता, अयोध्या निवासी, विक्रम मणि तिवारी, संतोष दुबे, कारसेवक, अभिनव सिंह,